हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

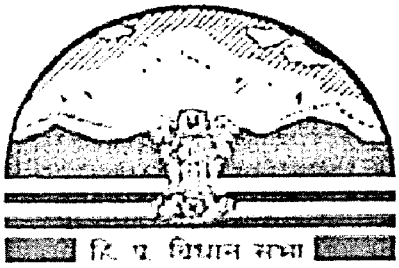

लोक उपक्रम समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2021-22)

49वाँ मूल प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम समिति से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 5.3 की समीक्षा पर आधारित।

(दिनांक 07 मार्च, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्र सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	1-10

समिति का गठन

सभापति:

कर्नल इन्द्र सिंह

सदस्य:

2. श्री राम लाल ठाकुर
3. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
4. श्री बलवीर सिंह वर्मा
5. श्री पवन कुमार काजल
6. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
7. श्री पवन नैय्यर
8. श्री राजेश ठाकुर
9. श्री सत्तपाल सिंह रायजादा
10. श्री विक्रमादित्य सिंह
11. श्री विशाल नैहरिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. **श्री यशपाल शर्मा** : सचिव
2. **श्रीमती रीता देवी** : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी।

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक उपक्रम समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2021-22) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति का **49वाँ मूल प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 5.3 की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2021-22) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 (नवम् संस्करण) के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018 दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को किया गया।

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन(वर्ष 2017-18)(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या 5.3 के सन्दर्भ में स्वयंमेव (Suo-Moto) उत्तर अतिरिक्त मुख्य सचिव(उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2021 को उपलब्ध करवाये गये। समिति ने दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को आयोजित बैठक में स्वयंमेव उत्तरों का अवलोकन किया तथा दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव(उद्योग) का प्राप्त विभागीय उत्तरों पर मौखिक परीक्षण किया। इन पैरों के लिखित उत्तरों एवं मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय सचिव द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी तथा उन पर समिति द्वारा की गई टिप्पणी/सुझावों/सिफारिशों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

समिति ने इस प्रतिवेदन को दिनांक 03 मार्च, 2022 को आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया।

समिति प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश व महालेखाकार कार्यालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों व अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मौखिक साक्ष्य के दौरान दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 को समिति की सम्पन्न हुई बैठक में अपना सहयोग दिया।

समिति सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करने में समिति को सहयोग दिया।

दिनांक: 03 मार्च, 2022
शिमला-171004.

(कर्नल इन्द्र सिंह),
सभापति,
लोक उपक्रम समिति।

अध्याय-I
प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या: 5.3 की समीक्षा पर आधारित है, के संदर्भ में विभाग ने कार्रवाई करते हुए दिनांक 17.03.2021 को स्वयंमेव उत्तर समिति की संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाए।

समिति ने दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को आयोजित बैठक में स्वयंमेव उत्तरों का अवलोकन किया तथा लिखित उत्तरों पर दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव(उद्योग) का मौखिक परीक्षण करने का निर्णय लिया। यह प्रतिवेदन विभागीय लिखित उत्तरों एवं मौखिक साक्ष्य के दौरान उपलब्ध करवाई अतिरिक्त जानकारी पर आधारित है। जो इस प्रकार से है:-

पैरा संख्या 5.3 निजी पार्टियों को अनुचित लाभ

मासिक बिक्री पर मात्रा छूट अनुमत करते समय उधार बिक्री का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप रुपये 55.65 लाख की अस्वीकार्य नकद छूट दी गई।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटिड कम्पनी अपने मैहतपुर एवं परवाणू स्थित देशी शराब बोतलीकरण संयंत्र में देसी शराब निर्मित करती है। राज्य के प्रत्येक जिले में विभिन्न खुदरा विक्रेताओं को इसकी शराब थोक में बेचने हेतु वितरकों को कमीशन के आधार पर कम्पनी ने खुली निविदाओं के माध्यम से निजी पार्टियों को नियुक्त किया। नियुक्त वितरक देसी शराब बोतलीकरण संयंत्र से या तो नकद भुगतान से या उधार बिक्री के आधार पर शराब को उठाता है।

कम्पनी ने शराब की बिक्री एवं नकद भुगतान प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु मात्रा छूट की स्कीम को आरम्भ किया (अप्रैल 2008) स्कीम के अनुसार, छूट केवल उक्त मास के दौरान वितरकों द्वारा नकद आधार पर उठाई गई मात्रा पर लागू थी। प्रतिमास 6 से 20 ट्रकों को उठाने पर छूट की दर रू0 8 प्रति बक्सा तथा रू0 13 प्रति बक्सा के मध्य और 5 ट्रकों को उठाने हेतु छूट दर निविदा दरों के अनुसार अनुमत्य थी।

वर्ष 2008-2010 के दौरान अस्वीकृत भुगतान से सम्बन्धित रू0 19.84 लाख के नकद भुगतान का मामला 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्य) हिमाचल प्रदेश सरकार, के पैरा 4.6 में इंगित किया था। इसकी प्रतिक्रिया में राज्य सरकार ने माननीय सार्वजनिक उपक्रम की समिति में सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि पार्टियों को दिए गए अस्वीकृत राशि के भुगतान को इन पार्टियों से वसूल किया जा चुका था तथा दोनों देशी शराब बोतलीकरण संयंत्र के प्रबंधन को भविष्य में छूट नीति को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दे दिया गया है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया (जुलाई 2017) कि 2014-17 के दौरान सम्बन्धित मास में उधार पर बिक्री के आधार पर उठाई गई शराब की मात्रा का समायोजन न करने के कारण देशी शराब बोतलीकरण संयंत्र परवाणु एवं मैहतपुर के पांच वितरकों को अनुमत रू0 2.68 करोड़ की कुल छूट के प्रति रू0 3-24 करोड़ की छूट स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप रू0 0.56 करोड़ की राजस्व हानि हुई। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि कम्पनी की कार्रवाई से न केवल इसकी बताई छूट पॉलिसी का उल्लंघन हुआ बल्कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति के समक्ष की गई वचनबद्धता की भी उपेक्षा की गई।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि मात्रा पर छूट केवल ऐसी मात्रा पर दी गई जिसके लिए एक विशेष मास में अत्यधिक मात्रा उठाने पर भुगतान प्राप्त कर लिया था शेष मात्रा पर, केवल लदाई-उतराई प्रभार दिए गए। भुगतान में देरी इसलिए हो सकती है क्योंकि ठेकेदार ने चैक सीधे पहुंचाने के बजाय हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम लिमिटेड के बैंक खाते में जमा कराए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी की बारम्बार विफलता के कारण हानि हुई एवं ऐसे उदाहरणों में सार्वजनिक उपक्रम समिति को आश्वासन देने के उपरान्त भविष्य में छूट पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने के सम्बन्ध में नियन्त्रण/जांच करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, इन वितरकों ने लागत रू0 127.12 करोड़ की कुल शराब में से लागत रू0 7.66 करोड़ की शराब को केवल मासिक नकद उधार पर उठाया तथा शेष मात्रा उधार पर बेची थी। कम्पनी ने मास के दौरान प्राप्त कुल नकद के आधार पर छूट अनुमत की थी जबकि गत मास की बिक्री के प्रति प्राप्त नकद पर छूट स्वीकार्य नहीं थी। इसके अलावा चैक के माध्यम से प्राप्त भुगतान जो उसी मास के दौरान नहीं निपटाए गए थे उन्हें उस विशेष महीने के लिए नकद बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता।

प्रबन्धन को चूक हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा भविष्य में ऐसी चूकों से बचने हेतु इसके वित्तीय नियन्त्रण का सुव्यवस्थितिकरण करने हेतु विचार करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया था (मई 2008); उनका उत्तर प्रतीक्षित था(सितम्बर, 2019)।

विभागीय उत्तर

विभाग ने लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि वर्ष 2007-08 में, हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के अनुसार, निगम को उन सभी जिलों में देशी शराब के एल-13 (थोक गोदाम) खोलने की आवश्यकता थी जहां एल-14 रिटेल वेंडर को देशी शराब की आपूर्ति की जानी थी, चूंकि निगम के पास विभिन्न जिला मुख्यालयों में अपने गोदाम और एल-13 गोदामों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे, इन एल-13 गोदामों को चलाने के लिए निगम द्वारा निजी पार्टियों को निविदाओं के माध्यम से लगाया गया था। वर्ष 2007-08 के दौरान, हालांकि एल-13 गोदाम संचालकों को निगम द्वारा न्यूनतम शुल्क की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा और उपलब्ध मार्जिन को ध्यान में रखते हुए,

निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद मात्रा छूट की एक योजना भी लागू की गई थी, जैसा कि लेखापरीक्षा पैरा संख्या 5.3 में ए0जी0 पार्टी द्वारा संदर्भित किया गया है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति एक मात्रा छूट नीति है क्योंकि यह एल-13 गोदाम संचालकों द्वारा उठाई गई मात्रा पर लागू होती है। खरीददारों को बड़ी मात्रा में खरीददारी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर विक्रेताओं द्वारा मात्रा में छूट की पेशकश की जाती है।

निगम ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मात्रा छूट नीति का पालन किया है और छूट की अनुमति देने की इस नीति का पालन बाद के वर्षों में भी किया गया था।

वास्तव में, मात्रा छूट केवल उतनी मात्रा पर ही दी गई थी, जिसके लिए एक विशेष महीने में भुगतान प्राप्त हुआ था और अधिक मात्रा में उधार पर उठाई गई मात्रा के लिए केवल पार्टी द्वारा उद्धृत किए गए हैंडलिंग शुल्क दिए गए थे। इस मात्रा का बकाया भुगतान कुछ दिनों के अंतराल के बाद अगले महीने में प्राप्त हुआ था।

पैरा में ऑडिट पार्टी द्वारा संदर्भित अतिरिक्त छूट रु0 55.65 लाख (सीएलबीपी महतपुर रु0 46.77 लाख और सीएलबीपी परवाणू रु. 8.88 लाख) है। निगम द्वारा की गई संशोधित गणना के अनुसार कुल अतिरिक्त छूट 27.60 लाख रुपये (सीएलबीपी मैहतपुर 23.61 लाख रुपये और सीएलबीपी परवाणू 3.99 लाख रुपये) के रूप में निर्धारित की गई है। अभिलेखों को खंगालने के दौरान एजी ऑडिट पार्टी द्वारा की गई गणना में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:

1. प्रारंभिक शेष में अंतर:

गणनाओं की जाँच करते समय यह पाया गया कि पार्टियों के शुरुआती शेष को ऑडिट पार्टी द्वारा गलत तरीके से लिया गया था और यह लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार खाता बही शेष के विपरीत है। प्रारंभिक शेष राशि का पार्टीवार विवरण इस प्रकार है:

क्रं0 सं0	पार्टी का नाम	ए.जी. के अनुसार खाता शेष	विधिवत् लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार खाता शेष
1	अविनाश वालिया एल-13, चम्बा	194111	-671931
2	मोहिन्द्र सिंह एल-13, मण्डी	1499806	1499806
3	प्रभात सिंह एल-13, हमीरपुर	2106175	1135942
4	जी0एस0सेठी एल-13, चम्बा	2521959	2190879
5	एच0एस0गुलाटी एल-13, शिमला	1428309	605051
	कुल	**7362138**	**4759747**

लेजर शेष की प्रति का समिति द्वारा अवलोकन किया गया है।

2. एच एस गुलाटी एल-13 शिमला जो कि सीएलबीपी परवाणू के अधीन था :

क) जुलाई 2014 के महीने के लिए प्राप्तियों में अंतर:-

ए0जी0 ऑडिट पार्टी की गणना के अनुसार जुलाई 2014 के महीने के लिए कुल प्राप्तियां रु0 6217495/- (जिसमें रु0 136810/- की छूट भी शामिल है) के बजाय रु.

1802765/- के रूप में ली गई हैं, इसके परिणामस्वरूप कुल अंतर रु0 4414720/- से कम लिया गया, जिसे बाद में सितंबर 2014 के महीने में समायोजित किया गया। कम प्राप्तियों के समग्र प्रभाव के परिणामस्वरूप जुलाई 2014 और अगस्त 2014 के महीनों के लिए छूट की गलत गणना हुई। प्राप्तियों के विवरण (रसीदें) इसके साथ अनुबंध 'बी' का अवलोकन समिति द्वारा किया गया हैं।

ख) मार्च, 2015 और मार्च, 2016 के महीने के लिए कुल वसूली योग्य राशि में त्रुटि:

ए0जी0 ऑडिट पार्टी द्वारा मार्च, 2015 माह के लिए वसूली योग्य कुल राशि को गलत तरीके से रु0 4924225- के बजाये रु0 5736473/- के रूप में लिया गया है। मार्च, 2015 से जून, 2016 तक के बाद के महीनों में प्रारंभिक शेष राशि को गलत तरीके से आगे ले जाने के परिणामस्वरूप ए0जी0 गणना पत्रक में अधिक छूट की गणना को और अधिक बढ़ा दिया है ।

इसी प्रकार, मार्च, 2016 माह के लिए वसूली योग्य कुल राशि को ए0जी0 ऑडिट पार्टी द्वारा गलत तरीके से रु0 6324683/- के बजाये रु0 7270059 /- रूप में लिया गया है। मार्च, 2016 से जून, 2016 तक के बाद के महीनों के लिए शुरुआती शेष राशि को गलत तरीके से आगे ले जाने के परिणामस्वरूप, ए0जी0 गणना पत्रक में अधिक छूट की गणना को और अधिक बढ़ा दिया है।

एच0 एस0 गुलाटी के संदर्भ में सही प्रारंभिक शेष राशि और उपरोक्त संदर्भित विसंगतियों पर गौर करने के बाद संबधित गणना अनुबन्ध के रूप में संलग्न थी जिसका समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है।

सीएलबीपी मैहतपुर के तहत एल-13:

क) मार्च, 2015 और मार्च, 2016 के महीने के लिए कुल वसूली योग्य राशि में त्रुटि:

सीएलबीपी मैहतपुर के सभी एल-13 पार्टियों के लिए मार्च, 2015 और मार्च, 2016 के महीने के लिए वसूली योग्य कुल राशि को ए०जी० ऑडिट पार्टी द्वारा गलत तरीके से लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2015 और मार्च 2016 में कमश: रुपये 2811281 और रुपये 1011563 की राशि दिखाई गई । मार्च 2016 तक के बाद के महीनों के लिए शुरूआती शेष राशि को गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया। जिससे ए०जी० गणना पत्रक में अधिक छूट की गणना प्रभावित हुई तथा बढ़ गई। विवरण इस प्रकार हैं:

माह मार्च, 2015

क्र. सं.	पार्टियों का नाम	ए.जी.रिकार्ड के हिसाब से वसूली योग्य राशि	सही गणना के हिसाब से वसूली योग्य राशि	ए.जी.द्वारा अधिक ली गई वसूली योग्य राशि
1	अविनाश वालिया एल-13, चम्बा	19191681	18118549	1073132
2	मोहिन्द्र सिंह एल-13, मण्डी	15955602	15675390	280212
3	प्रभात सिंह एल-13, हमीरपुर	7442578	7420324	22224
4	जी0एस0सेठी एल-13, चम्बा	11551554	10745841	805713
		54141385	**51960104**	**2181281**

माह मार्च, 2016

क्र.सं.	पार्टियों का नाम	ए.जी.रिकार्ड के हिसाब से वसूली योग्य राशि	सही गणना के हिसाब से वसूली योग्य राशि	ए.जी.द्वारा अधिक ली गई वसूली योग्य राशि
1	अविनाश वालिया एल-13, चम्बा	10001233	9622306	378927
2	मोहिन्द्र सिंह एल-13, मण्डी	12692754	12087279	605475
3	प्रभात सिंह एल-13, हमीरपुर	8900253	8873092	27161
4	जी0एस0सेठी एल-13, चम्बा	4342416	4342416	0
		35936656	**34925093**	**1011563**

ख) जी0 एस0 सेठी एल-13 चम्बा विभिन्न महीनों के दौरान उधार आधार पर बेचे गए बक्सों की गलत गणना:

ए०जी० कैलकुलेशन शीट का अध्ययन करते समय यह देखा गया है कि मई 2015, दिसंबर, 2015 और मई, 2016 के महीनों के दौरान उधार आधार पर बेचे गए बॉक्स को स्टॉक ट्रांसफर से अधिक गलत तरीके से लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप छूट की अधिक गणना हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में उधार के आधार पर बेचे जाने वाले बॉक्स विशेष महीने के दौरान वास्तविक स्टॉक ट्रांसफर से अधिक नहीं हो सकते। विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

संख्या

माह	वास्तविक स्टॉक ट्रांसफर बॉक्स	ए0जी0गणना के अनुसार उधार के आधार पर बेचे गए बॉक्स	संख्या में अन्तर
मई, 2015	5850	13581	7731
दिसम्बर, 2015	8450	11493	3043
मई, 2016	4550	5272	722
कुल	18850	30346	11496

सभी एल-13 पार्टियों और उपरोक्त संदर्भित विसंगतियों के लिए सही प्रारंभिक शेष राशि पर विचार करने के बाद सीएलबीपी मैहतपुर के लिए सभी पार्टियों की संशोधित गणनाएं अनुबन्ध के रूप में संलग्न थी जिसका समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है।

इसके अलावा उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद ए०जी० गणना के अनुसार और संशोधित गणना के अनुसार कुल छूट का पार्टीवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	पार्टियों का नाम	ए.जी. के रिकार्ड के हिसाब से अनावश्यक छूट	उपरोक्त तथ्यों के हिसाब से की गई गणना के हिसाब से छूट	अन्तर
1	अविनाश वालिया एल-13, चम्बा	573243	22716	550527
2	मोहिन्द्र सिंह एल-13, मण्डी	1375583	1082903	292680
3	प्रभात सिंह एल-13, हमीरपुर	1349591	568589	781002
4	जी0एस0सेठी एल-13, चम्बा	1378549	686803	691746
5	एच0एस0गुलाटी एल-13, शिमला	888109	399260	488849
	कुल	**5565075**	**2760271**	**2804804**

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कुल अतिरिक्त छूट रुपये 55.65 लाख (सी0एल0बी0पी0 मैहतपुर रुपये 46.77 लाख और सी0एल0बी0पी0 परवाणू रुपये 8.88 लाख) से घटकर रुपये 27.60 लाख (सी0एल0बी0पी0 मैहतपुर रुपये 23.61 लाख और सी0एल0बी0पी0 परवाणू रुपये 3.99 लाख) हो गई है ।

इस विषय को निगम की ऑडिट समिति के ध्यानार्थ दिनांक 28.04.2021 को हुई समिति बैठक मे लाया गया। समिति ने यह निर्णय लिया कि यह मुद्दा निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अत: निदेशक मण्डल की 219वीं बैठक से दिनांक 15 जून 2021 की अजैंडा नम्बर 219.12 के माध्यम से यह पूरा मुद्दा चर्चा के लिए लाया गया। निदेशक मण्डल ने अपना निर्णय निम्न रुप में प्रस्तुत किया:-

निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया कि चूंकि किसी विशेष महीने के अन्तिम सप्ताह में की गई बिक्री का पैसा उसी महीने में प्राप्त होना सम्भव नहीं है अत: वर्ष 2014 से आज तक के लिए भुगतान प्राप्ति के लिए उक्त विशेष महीने के अतिरिक्त दस दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है । उपरोक्त निर्णय को अमल में लाने के बाद कुल अतिरिक्त छूट का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र.स.	पार्टियों का नाम	219 वीं बैठक के निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार छूट
1	अविनाश वालिया एल-13, चम्बा	14352
2	माहिन्द्र सिंह एल-13, मण्डी	37946
3	प्रभात सिंह एल-13, हमीरपुर	199301
4	जी0एस0सेठी एल-13, चम्बा	513976
5	एच0एस0गुलाटी एल-13, शिमला	26187
	कुल	**791762**

इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया जाता है कि शराब की बिक्री और भुगतान प्राप्त करने के संबंध में खातों को बनाए रखने और तैयार करने की जिम्मेदारी तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (सामान्य), परवाणू और वरिष्ठ सहायक (लेखा), मैहतपुर की थी। तत्कालीन उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के समग्र पर्यवेक्षण और नियन्त्रण में दोनों संयंत्रों के लिए इस संबंध में एल-13 अधिकृत एजेंटों को स्वीकार्य छूट, मासिक विवरण के रूप में तैयार की जाती थी तथा प्रतिहस्ताक्षरित और अनुमोदन के लिए संयंत्र प्रबंधकों को प्रस्तुत की जाती थी । वर्तमान में ये सभी कर्मचारी निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनमें से एक यानी उपप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) का निधन भी हो गया है।

वसूली के मामले के संबंध में, एल-13 पार्टियों के साथ पत्राचार शुरू किया गया है। इसके अलावा दोनों इकाई प्रबंधकों को पत्र सं. GIC/F&A/AIN-2009-10/1489-1490 दिनांक 07/11/2020 के द्वारा एल-13 एजेंटों को दी गई अतिरिक्त छूट की वसूली एक समयबद्ध अवधि में करने का निर्देश दिया गया है।

आगे भविष्य में इस तरह की चूक से बचने के लिए छूट नीति को संशोधित किया गया है और एल-13 लाइसेंसधारियों को बेची गई देसी शराब की बिक्री के खिलाफ भुगतान की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दोनों इकाई प्रबंधकों की जिम्मेदारी तय की गई है। वित्त वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 व 2021-2022 के लिए नीतियों की प्रतियों का अवलोकन समिति द्वारा किया गया हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कृपया विचार करने के लिए उदार दृष्टिकोण लिया जाए और भुगतान प्राप्त करने में निदेशक मण्डल के द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लेते हुए 10 दिनों के अंतराल की अनुमति दी जाए,

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान मासिक बिक्री पर मात्रा छूट अनुमत करते समय उधार बिक्री का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप 55.65 लाख रुपये की अस्वीकार्य नकद छूट दी गई के संदर्भ में जानना चाहा कि :-

1. विभागीय उत्तर में बताए गए हानि से सम्बंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए दस्तावेज से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, समिति को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए;
2. समय-समय पर प्रचलित छूट पॉलिसी से विचलन के कारण स्पष्ट कीजिए;
3. हानि की वसूली के लिए उठाए गए कदमों से समिति को अवगत करवाएं;
4. चूंकि ये घटना बार-बार हो रही है तो इसकी पुनरावृति न हो इसके लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदम से समिति को अवगत करवाएं; और
5. बार-बार इस तरह की त्रुटि के लिए विभाग द्वारा सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उठाए गए ठोस कदम से समिति को अवगत करवाएं।

प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड लिकर बनाने का कार्य भी करती है इसलिए निगम को निजी कम्पनियों के साथ कम्पीट करना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र में कैश डिस्काउंट को खतरनाक माना जाता है इसलिए इसे अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। कॉरपोरेशन ने फैसला किया है कि यदि cash sale ज्यादा होती है तो निगम कैश डिस्काउंट देने पर विचार कर सकता है। निजी कम्पनियों में कैश पर ज्यादा व्यापार होता है, वे सारा माल लगभग कैश पर ही देती हैं। परिणामस्वरूप ऐसा पाया गया है कि कई बार तो लोग कैश दे देते थे लेकिन जब चैक के द्वारा पेमेंट होती है तो उस चैक को बैंक में डालने और उसे क्लीयर होने तक जिस महीने चैक काटा जाता है उसके अगले महीने तक का पहला सप्ताह भी लग जाता है और यदि वह चैक माह के अंतिम दिन से पहले ही कैश हो जाता है तो उसे भी हम कैश ही मानते हैं। यह एक तकनीकी इश्यू है। जब इस इश्यू को Board of Directors के सामने रखा गया तो उन्होंने एक फैसला लिया कि यदि अगले महीने की 10 तारीख से पहले कोई चैक कैश हो जाता है तो उसे कैश ही माना जाएगा। इस आधार पर विभाग ने माननीय समिति को जो डिटेल भेजी है उसमें 27 लाख रुपये न होकर केवल 7.91 लाख रुपये की हानि बनती है। इसका कारण यही था कि कुछ चैक्स की क्लीयरेन्स में थोड़ा डिले होता रहा है। इसमें हमारे स्टाफ से भी चूक हुई है। जब सीजन होता है तो हर रोज़ सैंकड़ों ट्रक उठते हैं और स्टाफ की कमी के कारण इसमें थोड़ी गलती रह जाती है। इन गलतियों के लिए स्टाफ को कारण बताओ नोटिस भी दिए थे लेकिन जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था उसमें से काफी स्टाफ रिटायर हो चुका है। मैं माननीय समिति से यही गुजारिश करता हूं कि क्योंकि यह एक बहुत पुराना मामला हो चुका है इसलिए विभागीय जवाब के मद्देनज़र, इस पैरा को समाप्त कर दिया जाए।

समिति ने इस सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि से इस बारे अपना मत व्यक्त करने को कहा ।

महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि ने इस बारे समिति को अवगत करवाया कि यदि कम्पनी के Board of Directors ने इस पर निर्णय ले लिया है कि अगले माह की 10 तारीख तक भी चैक जमा हो जाएगा तो उसे कैश माना जाएगा और माननीय समिति सहमत है तो इसे समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि Is it a subsequent decision? प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि Board of Directors ने Realistic position को देखते हुए subsequently इसे अप्रूव कर दिया था और जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसके अनुसार यह निर्णय लिया गया है। इसमें किसी का भी malafide नहीं था। लिकर में समस्या रहती है कि निजी कम्पनियों से कम्पीट करना होता है और स्टाफ की भी कमी रहती है जिस कारण कॉरपोरेशन को कार्य करने में थोड़ी दिक्कत रहती है।

समिति ने विभागीय सचिव से आगे जानना चाहा कि Wasn't it already anticipated? प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि there is

nothing to be anticipated बल्कि जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि हमें निजी कम्पनियों से कम्पीट करना होता है, लोग कहते हैं कि विभाग कैश डिस्काउंट दें तो वे माल उठा लेंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही फैसला करना होता है और फील्ड में छोटे-छोटे अधिकारी काम करते हैं जो इस तरह के फैसले लेने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते। एक तरह से कॉरपोरेशन व्यापार करती है और निजी कम्पनियों से कम्पीट करते हुए भी अपने आप को सर्वाइव कर रही है और लाभ में चल रही है।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि You have to compete with others. प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि आप सभी जानते हैं कि लिकर के क्षेत्र में सरकारी कम्पनी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। बीच में इसके लिए कुछ कोटा भी निर्धारित किया गया था लेकिन अब वह भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन बिना कोटे के भी कॉरपोरेशन सर्वाइव कर रही है।

समिति ने विभागीय सचिव से यह भी जानना चाहा कि समय-समय पर प्रचलित छूट पॉलिसी से विचलन के कारण के बारे में आपका क्या कहना है? प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक डायनामिक पॉलिसी है। क्योंकि पहले लोग good faith में ही काम कर रहे थे लेकिन बाद में इसे बोर्ड के माध्यम से करने पर विचार हुआ और इसके लिए एक पॉलिसी भी अप्रूव की गई। इसलिए इसमें स्पॉट पर ही फैसले हुए और कोई malafide नहीं था, केवल business interest में ही फैसले हुए हैं।

समिति ने विभागीय सचिव से यह भी जानना चाहा कि इसमें आगे ऐसा कुछ न हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि विभाग यह सुनिश्चित करें की भविष्य में ऐसी कोई भी कोताही न बरती जाए। विभाग ने चैक के लिए 10 दिन वाली पॉलिसी तो अपना ही ली है और यदि इसके अलावा भी कुछ और रिफॉर्म करने के लिए होगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे। इसमें जो कुछ बेहतर कर सकेंगे, उसके लिए एक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष लेकर आएंगे।

समिति ने विभागीय सचिव से यह भी जानना चाहा कि आपने अपने जवाब में malafide शब्द का बार-बार उपयोग किया है इसका मतलब यह हुआ कि malafide is more important. मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि malafide शब्द को इस संदर्भ में कहा है कि एक सरकारी कम्पनी निजी लालाओं से कम्पीट करके व्यापार कर रही है। सरकार की पॉलिसी तो बाद में आई है उससे पहले तो लोग good faith में ही काम कर रहे थे।

समिति ने विभागीय सचिव के ध्यान में लाया कि There is a Government and a Private unit, आप इनकी तुलना कर लीजिए। निजी यूनिट पर एक्साइज़ वाले अपना इंस्पैक्टर बिठा कर रखते हैं। वह इंस्पैक्टर जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक कोई भी निजी यूनिट न कोई कच्चा माल ला सकती है और न ही कोई तैयार माल बाहर भेज सकती है। निजी

यूनिट में तो सरकार का इंस्पैक्टर बैठा हुआ होता है लेकिन सरकारी कॉरपोरेशन में तो कोई इंस्पैक्टर नहीं होता because it is a PSU. एक इंस्पैक्टर जो काम निजी क्षेत्र की यूनिट के लिए करता है उस प्रकार से सरकारी क्षेत्र की यूनिट के लिए नहीं करता। आपकी कॉरपोरेशन एक सरकारी कम्पनी है इसलिए उसे उतनी शक भरी नज़रों से नहीं देखा जाता जितना निजी यूनिट को देखा जाता है। आप कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र से कम्पीट करने में बड़ी मुश्किल आ रही है जबकि आपको तो मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आपके ऊपर तो सरकार का हाथ है। सरकार की जो कोटा पॉलिसी बनी है उसके अनुसार निजी क्षेत्र को आपसे माल उठाना ही पड़ेगा। प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि एक्साइज़ विभाग का इंस्पैक्टर दोनों क्षेत्रों के लिए होता है लेकिन आपकी बात सही है कि सरकारी कम्पनी पर शक कम होता है। इसके अलावा आपने सरकार की कोटे वाली पॉलिसी के बारे में कहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि यह पॉलिसी अब समाप्त कर दी गई है।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि कोटे वाली पॉलिसी तो अब समाप्त हुई है लेकिन जब यह ऑडिट पैरा बना था तब तो कोटे वाली पॉलिसी चलन में थी। प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि समिति का मत सही है। उस समय कोटा पॉलिसी चलन में थी। लेकिन कॉरपोरेशन चाहती थी कि कोटे को एक्सीड करके उससे आगे बढ़ा जाए क्योंकि कोटा तो मिनिमम था। कॉरपोरेशन ने हमेशा कोटे से ज्यादा ही व्यापार करने का प्रयास किया है।

समिति ने विभागीय सचिव से जानना चाहा कि जब कोटा पॉलिसी चलन में थी तब सरकार पर उतनी मार नहीं पड़ती थी जितनी निजी क्षेत्र पर पड़ती थी। निजी क्षेत्र पर ज्यादा मार पड़ती थी और सरकार पर इसकी कम मार पड़ती थी। इसमें सरकार की तरफ से बहुत ढीला रवैया अपनाया गया है। निजी क्षेत्र वाले एडवांस में पेमेंट लेते हैं और उसके बाद माल देते हैं। निजी क्षेत्र वालों को एक दिक्कत यह है कि they have to go to the market to introduce there products; they have to compete with the PSUs; they have to deal with the Excise Inspectors as well as with the Department. उन लोगों पर तो चारों तरफ से नज़र होती है। लेकिन सरकारी कम्पनी पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्रत्युत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि सरकारी क्षेत्र का काम बिल्कुल व्हाइट होता है और जितना माल बनता है, उतना बेच दिया जाता है। समिति को यह भी अवगत करवाया गया कि बोर्ड के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और विभाग द्वारा किए गए प्रयासों को देखते हुए इस पैरा को समाप्त कर दिया जाए।

समिति ने विभागीय सचिव द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्तव्य से सन्तुष्ट होते हुए इस पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया।

पैरा समाप्त

*****